न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 90 / 2024 अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 207 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
विशनाराम गोदपुत्र मोतीराम जाति जाट, निवासी हेमावास शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर		1. टीकमाराम पुत्र चेतनराम 2. मेवाराम पुत्र चेतनराम 3. लाछीदेवी पत्नी टीकमाराम जाति जाट, निवासी हेमावास शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर 4. तहसीलदार शिव

उपस्थित :— अधिवक्ता वादी — श्री बालाराम गोदारा।

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 06.10.2025

वादी के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा अलसाणियों की ढाणी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1172 / 29 रकबा 12.8204 हैक्टेयर का आया हुआ है। मूल रूप से उक्त खेत खसरा नम्बर 29 / 1 रकबा 79. 04 बीघा पक्षकारान् के पूर्व चेतनराम को पैतृक रूप से प्राप्त हुआ था। चेतनराम के फौत होने पर उनके विधिक वारिशान पुत्र मोतीराम, मेवाराम, टीकमाराम व पत्नी पारूदेवी के नाम से नामांतरकरण संख्या 2 पारित किया गया। उक्त पुत्रों मे से मोतीराम के कोई जांईदा पुत्र नहीं होने के कारण मुतवफी मोतीराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही वादी को अपने गोद ले लिया। वाद में मोतीराम के फौत होने पर उसके विधिक वारिशान में वादी के नाम से नामांतरकरण पारित किया जाना था, किन्तु वादी के तत्समय नाबालिग होने पर वादी के साथ उसकी दादी पारूदेवी के नाम से बरावर हक हिस्सा का नामांतरकरण स्वीकृत कर लिया गया जबकि वादी का वादग्रस्त आराजी में 1 / 4 खातेदारी हिस्सा निहित था। वादी वक्त बालिग से ही वादग्रस्त आराजी में अपने 1 / 4 खातेदारी हिस्सा में काबिज काश्त है तथा अपने हिस्से की भूमि में अपनी रहवासी ढाणी, चाराबाड़े आदि भी बने हुए है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रविष्टियों का अनुचित लाभ उठाकर अपनी माता पारूदेवी को प्रभावित करते हुए पारूदेवी के हिस्से से अधिक भूमि का बैचान अपनी पत्नी लाछीदेवी के नाम से करवा दिया, जिसकी जानकारी वादी को प्राप्त नहीं हो सकी। वर्तमान में जब प्रतिवादी संख्या 1 व 3 द्वारा वादी के कब्जा काश्त में दखलदांजी पैदा करते हुए वादी को बताया गया कि वादग्रस्त आराजी में वादी का 1 / 8 हिस्सा है इसलिए आपका 1 / 8 हिस्सा से अधिक भूमि पर कब्जा होने से आप अपना कब्जा हटा लें अन्यथा हमारे द्वारा जबरन हटाया जायेगा। इस पर जब वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी की नकले प्राप्त की उस समय ज्ञान हुआ कि विधि विरूद्ध बैचान व नामांतरकरण पारित हुआ है। बाद में वादी द्वारा प्रतिवादीगण को ऐसा करने से रोकने हेतु गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से समझाईश करवाई गई, लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा मानने से इंकार कर दिया है। वादग्रस्त आराजी पैतृक भूमि थी [illegible] मुसमात पारूदेवी को अपने हिस्से तक की भूमि का बैचान करने का अधिकार था, जबकि [illegible] अपने हिस्से से अधिक बैचान किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से [illegible] शून्य एवं निष्प्रभावी है। अतः वादी द्वारा उक्त वाद वादग्रस्त आराजी में मुसमात पारूदेवी द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि के किये गये बैचान को वादी के हिस्से तक शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया जाकर वादी को 1 / 4 खातेदारी हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर वादी के हिस्सा की भूमि का बाई मिट्स बाउण्ड विभाजन करने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.12.10 14:19:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

वाद पंजीयन किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण के बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। वादी स्वयं द्वारा पीडब्ल्यू 1 के रूप में साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र पेश किया गया व दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये तथा स्वतंत्र गवाह देवीलाल द्वारा पीडब्ल्यू 2 के रूप में साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र पेश किया गया। वादी वकील द्वारा उक्त वाद में धारा 53 के तहत चाहा गया अनुतोष/इस्तदुआ विड्रो करने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसे स्वीकार किया जाकर धारा 53 के चाहा गया बंटवारा का अनुतोष विड्रो किया जा चुका है।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी मौजा अलसाणियों की ढाणी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1172/29 रकबा 12.8204 हैक्टेयर में मुस्मात पारूदेवी द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि के किये गये बैचान को वादी के हिस्से तक शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया जाकर वादी को 1/4 खातेदारी हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर अंतिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया गया।

हमने वाद के तथ्यों पर वादी अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। चूंकि विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम दर्ज है तथा मौके पर वादी का ही कब्जा काश्त है। वादी द्वारा उक्त वाद में वादी की मुस्मात पारूदेवी द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि के किये गये बैचान को वादी के हिस्से तक शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया जाकर वादग्रस्त आराजी में वादी को 1/4 खातेदारी हिस्से का खातेदार घोषित करने तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादी के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में दखलंदाजी पैदा करने तथा उसे बेदखल करने पर आमादा होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। प्रतिवादीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप बयान शपथ पेश किया गया तथा दस्तावेजात यथा राजस्व रेकर्ड जमाबंदियां, खेत बैचान दस्तावेज, गोदनामा दस्तावेज आदि पेश किये जाकर प्रदर्श करवाये गये है। गोदनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मोतीराम का गोदपुत्र है एवं उक्त गोदनामा का 08.10.2002 को निष्पादन किया गया है। गोदनामा निष्पादित होने के बाद मोतीराम के फौत होने पर गोदपुत्र विशनाराम उसका प्रथम श्रेणी का वारिश है। मोतीराम के फौत होने पर उक्त पैतृक खातेदारी में वादी के नाबालिग होने पर मोतीराम के हिस्से में वादी के साथ मुस्मात पारूदेवी का नाम दर्ज किया जाने पर मुस्मात पारूदेवी द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि का बैचान कर दिया गया जबकि हिस्सा से अधिक भूमि का बैचान करने का पारूदेवी को कोई विधिक अधिकार नहीं था। अतः वादी अपनी पैतृक खातेदारी भूमि के हिस्से से अधिक किये गये बैचान को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करवाने का विधिक अधिकारी है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी का 1/8 हिस्सा दर्ज है जबकि वादी उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/4 खातेदारी हिस्सा बनता है। पारूदेवी को उक्त वादग्रस्त आराजी में केवल अपने हिस्से तक की भूमि के बैचान का अधिकार था। मनोहारी बनाम घासीराम (123) में स्पष्ट किया गया है कि ऐसा मामला राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार में है। चूंकि उक्त वाद में वर्णित बैचान पत्र को शून्य घोषित करना केवल एक इन्सिडेंटल रिलीफ है एवं वाद का मुख्य उद्देश्य खातेदारी घोषणा का है। अतः उक्त स्थिति में सहायक कलक्टर (एसडीओ) शिव को श्रवणाधिकार प्राप्त है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राम कुमार बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में स्पष्ट किया है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के तहत पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय करार निष्पादन अनुज्ञेय नहीं है। पैतृक संपत्ति में कोई व्यक्ति [illegible] हिस्से व अधिकार तक की भूमि का ही अंतरण कर सकता है। अतः उक्त [illegible] से अधिक का बैचान हुआ है, वह शून्य योग्य है। साथ ही फौतगी नामांतरकरण से स्पष्ट है कि [illegible] वादग्रस्त भूमि पैतृक है।

अतः उक्त स्थिति में वादग्रस्त आराजी पैतृक भूमि होने तथा वादी के मोतीराम का गोदपुत्र होने से उक्त वादग्रस्त आराजी में हक हिस्सा [illegible] होने एवं पूर्व में पारूदेवी द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि का बैचान करने पर वादी के हक हिस्सा तक के बैचान को शून्य एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.12.10 14:19:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

निष्प्रभावी घोषित किया जाकर वादग्रस्त आराजी में वादी के 1/4 खातेदारी हिस्सा की खातेदारी घोषणा की जाकर वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा अलसाणियों की ढाणी, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 1172/29 रकबा 12.8204 हैक्टेयर भूमि में मुस्मात पारूदेवी द्वारा अपने विधिक हिस्से से अधिक प्रतिवादी संख्या 3 को किये गये बैचान को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया जाता है तथा वादी को वादग्रस्त आराजी में 1/4 खातेदारी हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खातेदारी भूमि की प्रविष्टियां यथावत रखी जाती है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.12.10 14:19:29 IST
Reason: SelfAttested